रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 1970/भाद्र 9, 1892

No. 313] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 1970/BHADRA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st August 1970

S.O. 2872/18A(1)(b)/IDRA/70.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 3091/18A/IDRA/67, dated the 2nd September, 1967, namely:—

In the said order—

in clause 5, for the words "three years" the words "three years and nine months" shall be substituted

[No. F. 9(1) Lic. Pol./67.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त 1970

का० आ० 2872.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 3091/18क/आइ डी आर ए/67 तारीख 2 सितम्बर, 1967 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में—

खण्ड 5 में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और नौ मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० फा० 9(2)लाई-पोल/67]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970